न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
राजस्व अपील संख्या :– 07/2025
जीसीएमएस संख्या :– 2025/87

अपीलार्थी :–

नारायणसिंह पुत्र श्री रेवंतसिंह, उम्र 50 वर्ष जाति राजपूत निवासी गांव माणकलाव तह. व जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस :–

1. श्रीमती कानी देवी पत्नी श्री पप्पूराम, पुत्रवधु श्री खीयाराम उम्र 43 वर्ष जाति माली, निवासी कुडीवाला बेरा, ग्राम मणाई तह. व जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत मणाई जरिए सरपंच पंचायत समिति केरू तह व जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1436 दिनांक 12.04.2022 ग्राम पंचायत मणाई तह. व जिला जोधपुर।

–::निर्णय::–

दिनांकः– 10/09/2025

उपस्थितः– 1. अपीलार्थी की और से अधिवक्तागण श्री नवरतन चारण, गोरधन चौधरी।
2. रेस्पोडेन्टस अनुपस्थित।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि है कि अपीलार्थी उपरोक्त लिखित पते का स्थाई निवासी है। अपीलार्थी नारायणसिंह व रेस्पोडेन्ट सं0 1 मणाई पटवार हल्का इन्द्रोका भू०अ०नि० क्षेत्र माणकलाव तहसील व जिला जोंधपुर में स्थित खेत खसरा नं0 169/3 रकबा 1.9425 हैक्टेयर के सहखातेदार है। यह है कि उपरोक्त वर्णित खसरा सं० 169/3 ग्राम मणाई में अपीलार्थी का 1 बीघा 10 बिस्वांसी भूमि का मालिक एवं स्वामी है एवं रेस्पोडेन्ट सं० 1 भी सहखातेदार है।

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

कार्यालय श्री भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा जरिये भूमि अवाप्ति प्रकरण सं0 2/2006 बअनवान अधिशाषी अभियन्ता जन०स्वा०अभि विभाग जिला खण्ड तृतीय जोधपुर बनाम फतेहसिह पुत्र हेमसिह जाति राजपूत, निवासी इन्द्रोका तहसील जोधपुर एवं ग्राम इन्द्रोका मणाई माणकलाव व बेरू के अन्य खातेदार, (केन्द्रीय भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 के तहत निविदत (टैण्डर) अवार्ड दिनांक 16–4–2007) की पालना में खसरा सं0 169/3 के मूल खसरा 169 की 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि पी०एच०ई०डी० की पाईप लाईन डालने हेतु अवाप्त हुई थी किंतु ग्राम मणाई के खसरा सं0 169 में अवाप्तसुदा 1.10 बीघा भूमि का म्युटेशन पी०एच०ई०डी० के नाम नहीं भरा गया। ग्राम मणाई के खसरा नं0 169/3 रकबा 12 बीघा पूर्व में चौखाराम पुत्र कालूराम, खीयाराम पुत्र पूनाराम जातियान माली निवासी–मणाई के नाम दर्ज थी। इसके पश्चात चौखाराम पुत्र कालूराम जाति माली, निवासी–मणाई का 1/2 हिस्सा यथावत आज दिनांक तक चला आ रहा है लेकिन खीयाराम पुत्र पूनाराम जाति माली, निवासी–मणाई का 1/2 में से नामान्तरकरण संख्या 809 दिनांक 23–8–2008 के द्वारा रामेश्वरसिह चौधरी पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी–घडाव को 2.10 बीघा भूमि बेचान कर दी गई व एवं जरिये नामान्तरकरण सं० 1436 के द्वारा कानीदेवी पत्नी श्री पप्पूराम जाति माली निवासी मणाई को 3.3 बीघा भूमि बख्शीश कर दी गई थी जबकि श्रीमान् अधिकारी जोधपुर के अवाप्ति उपखण्ड आदेश ई० (अवार्ड) कमांक / राजस्व/अवाप्ति/माणकलाव/ पी०एच० डी0/11/7/14 दिनांक 18–4–2007 को खसरा नं0 169/3 में से 1.10 बीघा भूमि अवाप्त की गई थी लेकिन उक्त अवाप्ति. आदेश की आज दिनांक तक पालना व नामान्तरकरण नहीं हुआ है।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाये एवं नामान्तरकरण सं0 1436 दिनांक 12–4–2022 जो कि अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत मणाई द्वारा स्वीकृत किया गया को निरस्त फरमाया जावे तथा अवाप्तसुदा हिस्सा अनुसार नामान्तरकरण नये सिरे से भरा जावे। अन्य अनुतोष जो अपीलार्थी के पक्ष में हो पारित फरमाया जावे।

अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गए। रेस्पोडेंट्सं की ओर से बावजूद तामील कोई उपस्थित नहीं। अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई इस प्रार्थना पत्र का कोई जबाब रेस्पोडेन्ट की ओर से पेश नहीं होने से प्रार्थना पत्र धारा 05 एवं शपथ पत्र में वर्णित कारणो के आधार पर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अधिवक्ता अपीलार्थी का अपील पर बहस में मुख्य कथन रहा है कि कार्यालय श्री भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा जरिये भूमि अवाप्ति प्रकरण सं० 2/2006 बअनवान अधिशाषी अभियन्ता जन०स्वा०अभि विभाग जिला खण्ड तृतीय जोधपुर बनाम फतेहसिह पुत्र हेमसिह जाति राजपूत, निवासी इन्द्रोका तहसील जोधपुर एवं ग्राम इन्द्रोका मणाई माणकलाव व बेरू के अन्य खातेदार, (केन्द्रीय भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 के तहत निविदत (टैण्डर) अवार्ड दिनांक 16–4–2007) की पालना में खसरा सं0 169/3 के मूल खसरा 169 की 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि पी०एच०ई०डी० की पाईप लाईन डालने हेतु अवाप्त हुई थी। एवं राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत के कारण ग्राम मणाई के खसरा सं0 169 में अवाप्तसुदा 1.10 बीघा भूमि का म्युटेशन पी.एच.ई.डी. के नाम नहीं भरा गया। इस कारण आलोच्य नामान्तरकरण अपास्त व निरस्त करने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक मनन किया गया जिससे से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम मणाई के खसरा सं. 169/3 रकबा 12 बीघा पूर्व में चौखाराम पुत्र कालूराम, खीयाराम पुत्र पूनाराम जातियान माली निवासी मणाई के नाम दर्ज थी। इसके पश्चात् चौखाराम पुत्र कालूराम का 1/2 हिस्सा यथावत आज दिनांक तक चला आ रहा है लेकिन खीयाराम पुत्र पूनाराम जाति माली का 1/2 में से नामा. सं. 809 दिनांक 23.08.2008 के द्वारा रामेश्वर सिंह चौधरी पुत्र पेमाराम जाति जाट को 2.10 बीघा भूमि बैचान कर दी एवं जरिए नामा. सं. 1636 के द्वारा कानीदेवी पत्नी श्री पप्पूराम मणाई को 3.3 बीघा भूमि बख्शीश की गई जबकि दिनांक 18.07. 2007 को खसरा सं. 169/3 में से 1.10 बीघा भूमि अवाप्त की गई थी, लेकिन उक्त अवाप्ति आदेश की पालना में नामा. नहीं हुआ है। उक्त अवाप्ति आदेश की पालना नहीं होने के कारण खातेदार खीयाराम पुत्र पूनाराम जाति माली द्वारा बैचान तथा बख्शीश करने पर नामा. सं. 809, एवं 1436 दर्ज किए गए। इन परिस्थितयों में

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर ग्राम मणाई के खसरा सं. 169/3 में नामा. सं. 1436 दिनांक 12.04.2022 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार जोधपुर तदअनुसार पी.एच.ई.डी. विभाग के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हेतु आवश्यक कार्यवाही करे।

(प्रीतम कुमार) IAS
उपखण्ड अधिकारी (उत्तर)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 10/09/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रीतम कुमार) IAS
उपखण्ड अधिकारी (उत्तर)
जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर